RELIEF AGAINST SCHOOL FEE HIKES

Relief for Parents: Chief Minister Cracks Down on Arbitrary Private School Fee Hikes Following Persistent Intervention by Buxar MLA Anand Mishra

In a massive victory for families and students across the state and the Buxar Vidhan Sabha area, the Government of Bihar has taken direct action to completely restrict arbitrary, non-transparent fee hikes by private schools.

This critical administrative reform follows sustained pressure and official communications initiated by Buxar MLA Anand Mishra, who brought the escalating financial burdens of local parents to the highest corridors of power. Responding decisively to the concerns highlighted by the MLA, Hon'ble Chief Minister Samrat Choudhary ***issued strict compliance directives on 12.05.2026 to over 10,000 private schools statewide.***

Key Regulations Enforced Under This Order:

- ***Mandatory Fee Disclosures:*** *Schools are legally obligated to publicly declare their complete fee structure.*
- ***Cap on Increases:*** *A strict ceiling prevents unjustified, compounding annual fee hikes.*
- ***End to Market Monopolies:*** *Schools are completely barred from forcing parents to buy textbooks and uniforms from designated, expensive vendors. Students can now buy materials from any open market.*
- ***Student Protection:*** *No child can be barred from examinations or have their results withheld due to pending fee disputes.*

@anandmishra.ips

ANAND MISHRA
MLA, BUXAR, BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर,
सदस्य, प्राक्कलन समिति,
बिहार विधान सभा

बिहार सरकार

Anand Mishra
MLA, 200-Buxar,
Member, Estimates Committee,
Bihar Legislative Assembly

No. MLA/200BXR/2026-365 Date 08-04-2026

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर, बिहार।

विषय: निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म की अनिवार्य खरीद एवं Readmission Fee के नाम पर भारी वसूली द्वारा अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने हेतु प्रभावी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र के अनेक अभिभावकों एवं जागरूक नागरिकों द्वारा निरंतर यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बक्सर जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों को विद्यालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट दुकानों/विक्रेताओं से ही यूनिफॉर्म, पुस्तकें, कॉपियाँ एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने हेतु अनैतिक रूप से बाध्य किया जा रहा है।संज्ञान में यह भी आया है कि कई निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में पुराने छात्रों से भी Readmission Fee अथवा Annual fee के नाम पर भारी वसूली कर रहे हैं।

विदित हो कि इस प्रकार की एकाधिकारवादी व्यवस्था के कारण अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव में इन वस्तुओं की कीमतें वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक वसूली जा रही हैं, जो न केवल उपभोक्ता अधिकारों का हनन है, बल्कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में अनुचित व्यापारिक कदाचार को भी बढ़ावा दे रहा है।

अतः जनहित एवं छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी वैधानिक शक्तियों, विशेषकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा-7, RTE अधिनियम 2009 की धारा 13 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में एक बाध्यकारी आदेश निर्गत करने की कृपा करें, जिसमें निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट हों:

1. कोई भी निजी विद्यालय किसी विशेष दुकान या वेंडर से सामग्री खरीदने हेतु दबाव नहीं बनाएगा।
2. सभी विद्यालय अपनी यूनिफॉर्म का विवरण और पुस्तक सूची सार्वजनिक रूप से सूचना पट्ट एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे, ताकि अभिभावक खुले बाजार से सामग्री क्रय करने हेतु स्वतंत्र रहें।
3. कमीशन आधारित 'टाई-अप' या एकाधिकार व्यवस्था पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।

154, गोलम्बर-जासो रोड, बक्सर,बिहार - 802101 154, Golambar-Jaso Road, Buxar, Bihar-802101 +91 9862201500 / 95996-82100
mla.buxar@anandmishra.org / ipsanandmishra.bjp@gmail.com https://www.anandmishra.co

@anandmishra.ips
ANAND MISHRA
MLA, BUXAR, BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY

4. जिला शिक्षा अधिकारी को उन स्कूलों की जांच करने का निर्देश दें जो विभिन्न नामों से पुन: प्रवेश शुल्क वसूल रहे हैं। सभी निजी स्कूलों को एक स्पष्ट आदेश जारी करें कि वे इस अवैध वसूली को तुरंत बंद करें और वर्तमान सत्र में लिए गए ऐसे शुल्कों को वापस (Refund) करें।
5. आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं जिला स्तर पर एक प्रभावी 'शिकायत निवारण सेल' का गठन किया जाए।

आशा है कि आप इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:
1. माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना, को सादर सूचनार्थ एवं निजी विद्यालयों की मनमानी पर प्रदेश व्यापी नीति निर्धारण हेतु प्रेषित |

2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना, को छात्रों एवं अभिभावकों के आर्थिक संरक्षण एवं सुसंगत नियमों के कड़ाई से अनुपालन हेतु प्रेषित |

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), बक्सर को आवश्यक अनुपालन एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सादर धन्यवाद,
भवदीय,

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर
बिहार विधान सभा

154, गोलम्बर-जासो रोड, बक्सर,बिहार - 802101 154, Golambar-Jaso Road, Buxar, Bihar-802101 +91 9862201500 / 95996-82100
mla.buxar@anandmishra.org / ipsanandmishra.bjp@gmail.com https://www.anandmishra.co

@anandmishra.ips
ANAND MISHRA
MLA, BUXAR, BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY

@anandmishra.ips
ANAND MISHRA
MLA, BUXAR, BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY